कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः49/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–18(बुलन्द0)/85. दिनांकः मार्च 14 2018,

सेवा मे,

प्रबन्धक/स्वामी,
मैसर्स डा0 जगदीश मैमोरियल पब्लिक स्कूल,
खेत नं0–02, ग्राम भीमपरु चौराहा डिबाई,
जनपद बुलन्दशहर।

विषयः **मैसर्स डा0 जगदीश मैमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारा खेत नं0–02, ग्राम भीमपरु चौराहा डिबाई जिला बुलन्दशहर उ0प्र0 मे निर्मित/संचालित एजुकेशनल भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्पलीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडी:2018/40365/बीएचआर/बुलन्दशहर/878/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी बुलन्दशहर से किया गया है।

उक्त के अनुपालन में प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण प्रमारी अग्निशमन केन्द्र सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर श्री अजीज खान द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 16–02–2018 का मुख्य अग्निशमन अधिकारी बुलन्दशहर श्री दीपक शर्मा द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी आख्या दिनांकः 18–02–2018 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिनका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–8245.00 वर्ग मी0।
2–निर्मित भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल कवर्ड एरिया–655.30 वर्ग मी0 प्रत्येक।
3–निर्मित बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–186.33 वर्ग मी0।
4–भवन की ऊचॉईः–10.41 मीटर।

भवन का अधिभोगः– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एनबीसी–2005 की शैक्षणिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाऐंः–

1–पहुँच मार्गः– प्रश्नगत भवन के सामने मानचित्रों में 33.52 मी0 चौडा रोड उपलब्ध है। जिस पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।

2–प्रवेश द्वारः–प्रश्नगत भवन के मानचित्रों में प्रवेश द्वार जिसकी चौडाई 06.00 मीटर उपलब्ध है।

3–सैटबेकः– भवन के सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–29.09 मी0 खुला स्थान।
बी0–पृष्ठ भाग–18.68 मी0 खुला मैदान।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–132.73 मी0 खुला मैदान।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–33.00 मी0 खुला स्थान।

उपरोक्तनुसार प्रश्नगत भवन के सैटबेक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है, तथा अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु भवन के चारों ओर 06–06 मी0 मोटरेबुल हार्ड सरफेस मार्ग उपलब्ध रखा जाना अनिवार्य होगा। जिसमें किसी प्रकार का स्थायी/अस्थाई निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नही होगी। तथा उपलब्ध सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये। तथा निर्मित शैक्षिक भवन से 23.20 मी0 की दूरी पर हाईटेंशन विद्युत लाईन गुजर रही है, जो भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्रस्तर 3:11:4 की अहर्ताओं को विद्युत लाईन पूर्ण करती है।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

4–निकास मार्गः– प्रश्नगत भवन में 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 01.54 मी0 प्रत्येक उपलब्ध है। तथा समस्त स्थानों से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– प्रश्नगत निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं उसमे सन्दर्भित बी0आई0एस0–3844 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं स्थापित एंव कार्यशील दशा मे पायी गयीः–

1–होजरील / डाउनकमरः– प्रश्नगत भवन मे होजरील / डाउनकमर लैण्डिंग वाल्व कार्यशील दशा में स्थापित है।

2–टेरिस टैंकः– प्रश्नगत भवन में टेरिस टैंक 10,000 हजार ली0 पानी क्षमता का कार्यशील दशा में स्थापित है।

3–टेरिस पम्पः– प्रश्नगत में टेरिस पम्प 450 एल0पी0एम0 क्षमता का कार्यशील दशा में स्थापित है।

4–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रश्नगत भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार स्थापित है।

5–पी0ए0 सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम स्थापित है।

6–एग्जिट साईनेजः– प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स डा0 जगदीश मैमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारा खेत नं0–02, ग्राम भीमपरु चौराहा डिबाई जिला बुलन्दशहर उ0प्र0 में निर्मित / संचालित एजुकेशनल भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का कम्पलीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता हैः–

1–भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर–सी0–6 के अनुसार नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त रखा जाये।

3–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व भवन विनियमावली के अनुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4–भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल / फायर ड्रिल कराई जायें तथा एन0बी0सी0–2005 के एनेक्स–ई–3 के अनुसार इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान तैयार कर इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

5–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

उपरोक्त के विपरीत किसी भी कार्य के लिये भवन स्वामी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

4/13
(अरविन्द कुमार)
(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी बुलन्दशहर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
3–प्रमारी, अग्निशमन केन्द्र सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
4–जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।